न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00205

1. गजानन्द आत्मज श्री भंवर लाल जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजूलाल आत्मज श्री भंवर लाल जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. रामभजन आत्मज श्री भंवर लाल जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कपूर चन्द आत्मज राजूलाल जाति महाजन निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. ग्राम पंचायत मोहनपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. ग्राम पंचायत जरिये सचिव, ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्राज0 सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य ,संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 138 मिन रकबा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि गणेश बेटा गुमान चमार, कपूरचन्द बेटा राजूलाल महाजन के खातेदारी में दर्ज है । पुराने खसरा नम्बर 138 रकबा 245 बीघा 06 बिस्वा बिना नाम

काबिल काश्त इन्द्रगढ में स्थित थी । जिसमें से 06 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 29.07.1961 को 50 गुना लगान लेकर वादीगण के दादा स्वर्गीय गणेश आत्मज गुमान एवं प्रतिवादी कम 01 के नाम नामान्तरकरण संख्या 90 से दिनांक 10.12.1962 को खाते दर्ज की थी । उक्त भूमि पर वादीगण के दादा स्वर्गीय गणेश अपने जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे । प्रतिवादी कम 01 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा । बन्दोबस्त अधिकारियो ने वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त भूमि को चारागाह ग्राम पंचायत मोहनपुरा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 8.83 हैक्टर कायम कर ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दिया । बन्दोबस्त विभाग को बिना सक्षम आदेश के प्रविष्टि के फेरबदल करने का अधिकार नहीं था । गणेश जी का स्वर्गवास दिनांक 20.01.1975 को लाऔलाद हो गया । उन्होनें अपने जीवनकाल में वादीगण के पिता भंवर लाल आत्मज माधो के पक्ष में मौखिक वसीयत कर दी जिसके अनुसार वादीगण के पिता गणेश जी मृत्यु के बाद उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति के वारिस हो गये । प्रतिवादी कम 01 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादीगण उक्त भूमि पर गणेश जी की मृत्यु के बाद से ही निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा नम्बर 314 रकबा 8.83 हैक्टर में से 06 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण को बतौर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावे तथा ग्राम पचांयत का नाम उक्त भूमि से विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2017 के द्वारा वाद वादीगण खाजिर कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है फिर भी वाद वादीगण खारिज कर दिया । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर गणेश जी की मृत्यु सन् 1975 में होने के बाद से ही बहैसियत वसीयती वारिस काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का परीक्षण न्यायालय में पेश किया था और यह कथन किया था कि संवत् 2026–29 की जमाबन्दी ग्राम इन्द्रगढ में खतौनी संख्या 22 में खसरा नम्बर 138 मिन की 06 बिस्वा आराजी में गणेश बेटा गुमान व कपूर चन्द बेटा राजूलाल महाजन खातेदार दर्ज हैं । साबिक खसरा नम्बर 138 रकबा 245 बीघा 06 बिस्वा बिला नाम ग्राम इन्द्रगढ में स्थित थी इसमें से 06

बिस्वा आराजी उपखण्ड अधिकारी द्वारा सन् 1961 में वादीगण के दादा और प्रतिवादी क्रम 01 के नाम खाते लगाई थी । नामान्तरकरण संख्या 90 का अमल रिकॉर्ड में किया गया तब से ही इस आराजी पर वादीगण के दादा का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी क्रम 01 का कभी भी इस आराजी पर कब्जा नहीं रहा है । भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना नोटिस दिये 06 बिस्वा आराजी को चारागाह दर्ज कर खसरा नम्बर 314 रकबा 8.83 हैक्टर में मर्ज कर दिया है जो गैर कानूनी है । गणेश जी लाऔलाद फौत हुए उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है । गणेश जी ने वादीगण के पिता के पक्ष में मौखिक रूप से वसीयत दिनांक 20.01. 1975 को की थी । भंवर लाल की मृत्यु के बाद वादीगण उनके विधिक वारिस हैं । प्रतिवादी क्रम 01 का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । वादी के द्वारा जो दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई थी उसके खण्डन में कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण ने पेश नहीं किया है । वसीयत का लिखित एवं पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है । प्रतिवादी क्रम 01 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं । अपीलान्ट को धारा 91 एल0आर0 एक्ट के नोटिस दिये जाते हैं । प्रदर्श– 6 मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 138 मिन के कई नम्बर कायम किये गये हैं और वादी अपीलान्ट के कब्जे की आराजी को खसरा नम्बर 314 में शामिल कर दिया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2017 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007 (1) (राज0) पेज 59, आरआरडी 2003 पेज 298, आरआरडी 2013 पेज 143, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 74 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी चारागाह है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2026–29 प्रदर्श–1 खतौनी संख्या 22 पेश की है जिसमें गणेश बेटा गुमान और कपूर चन्द बेटा राजू के खाते में खसरा नम्बर 138 मिन की रकबा 06 बिस्वा आराजी दर्ज है । प्रदर्श– 02 नामान्तरकरण संख्या 90 की प्रति है जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में साबिक खसरा नम्बर 138 मिन की 06 बिस्वा आराजी गणेश और कपूरचन्द के खाते में दर्ज की गई है । प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 138 मिन रकबा 06 बिस्वा आराजी गणेश एवं कपूर चन्द के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 4 नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 है जिसके अनुसारा खतौनी संख्या 99 में चारागाह में साबिक खसरा नम्बर 138 मिन रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 6 के रूप में संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 138 मिन के खसरा नम्बर 311, 313, 314, 315 नम्बर कायम किये गये हैं और 316 में 80 मिन, 83 मिन और 138 मिन का रकबा शामिल है । प्रदर्श– 7 नकल जमाबन्दी संवत् 2041–60 भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 314 की रकबा 8.83 हैक्टर चारागाह ग्राम पंचायत मोहनपुरा के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 8 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 315 की रकबा 5.60 हैक्टर भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज है । प्रदर्श–9 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 311, 313 और 316 की आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । प्रदर्श–10 एवं 11 मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियॉ

हैं । प्रदर्श– 12 एवं 13 नोटिसों की प्रतियॉ हैं । प्रदर्श– 14 से 17 डाक विभाग की रसीदें हैं प्रदर्श– 19 डाक विभाग की पावती रसीद हैं । धारा 91 के नोटिस प्रदर्श– 20 लगायत 24, रसीद की प्रति प्रदर्श–25 से 28 संलग्न हैं ।

10. वादी की ओर से बयान गजानन्द पीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं । इसके अलावा पीडब्ल्यू– 2 के रूप में रामप्रसाद और पीडब्ल्यू– 3 के रूप में दौलतराम के शपथ पत्र भी पेश किये गये हैं परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है ।

11. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि उनके खाते की साबिक खसरा नम्बर 138 की 06 बिस्वा आराजी हाल खसरा नम्बर 314 में मिलाकर चारागाह दर्ज की है । इस कम में पत्रावली पर जो मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है उसमें साबिक खसरा नम्बर 138 मिन रकबा 108 बीघा 10 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 314 रकबा 8.83 कायम किया गया है और नकल जमाबन्दी प्रदर्श–5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 138 मिन की 109 बीघा 10 बिस्वा आराजी चारागाह दर्ज है । इस प्रकार खसरा नम्बर 138 मिन का जो रकबा पूर्व में चारागाह दर्ज किया गया था उसका रकबा 109 बीघा 11 बिस्वा था और मिलान क्षेत्रफल में इसका साबिक रकबा 108 बीघा 11 बिस्वा ओर नये नम्बर का रकबा 8.83 हैक्टर दर्ज किये गये हैं जो कि साबिक रकबे से कम हैं । इस प्रकार वादी अपीलान्ट यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि उनके खाते की आराजी चारागाह खसरा नम्बर 314 में शामिल कर दी गई है । खसरा नम्बर 138 मिन के जो नये नम्बर कायम किये गये हैं उनमे साबिक खसरा नम्बर का रकबा मिलान क्षेत्रफल में दर्ज नहीं है । वादी अपीलान्ट ने साबिक और हाल खसरा नम्बर के नक्शे ट्रेस की प्रतियॉ भी पेश नहीं की हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन कर यह विनिश्चय किया जा सके कि वादी अपीलान्ट के खाते की आराजी कौन से खसरा नम्बर में शामिल की गई है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादीगण अपीलान्ट अपने दावे को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं जबकि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है। परीक्षण न्यायालय ने दावा वादीगण खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा